राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 113/2025

रती देवी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शास सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, टोडियार, उमरैन, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.01.2025
आदेश की दिनांक : 23.01.2025

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, टोडियार, उमरैन, जिला अलवर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, उमरैन, अलवर में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 328 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनके पदस्थापन के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। अपीलार्थी को प्रारम्भ में वर्ष 1991 में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंडावा, रतनगढ़ में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को वर्ष 2023 में कार्यव्यवस्था के आधार पर वर्तमान स्थान पर नियुक्त किया गया था और उसे पास के रिक्त पद को दिखाए बिना स्कूल को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अपग्रेड करने के कारण अधिशेष घोषित किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 09.12.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कनिष्ठ उम्मीदवारों को शहरी क्षेत्रों में समायोजित किया गया है और अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार होने के कारण फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन किया गया है। जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय,

साहब जोहड़ा, उमरैण एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मीका पाड़ी उमरैण, अलवर में पद रिक्त है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, टोडियार, उमरैण, जिला अलवर में कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कस्बा डेहरा, ब्लॉक उमरैण जिला अलवर में दिनांक 11.06.2018 से अध्यापक लेवल–1 के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के पदस्थापन स्थान को राज्य सरकार के आदेशानुसार महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में रूपान्तरित किया गया है। अपीलार्थी के संबंध में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 में टंकण त्रुटीवश अपीलार्थी कार्मिक का पदस्थापन स्थान त्रुटीवश महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टोडियार, ब्लॉक उमैरण अलवर अंकित हो गया था जिसको जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, अलवर के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक आर/1) के द्वारा संशोधित कर दिया गया है, संशोधित आदेश में अपीलार्थी का पूर्व पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कस्बा डेहरा ब्लॉक उमरैण प्रदर्शित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को स्वीकृत पद के अनुसार ही आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक आवश्यकता में समान ब्लॉक में ही पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के पूर्व पदस्थापन स्थान पर अपीलार्थी कार्मिक के अधिशेष होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर ब्लॉक उमैरण जिला अलवर में पदस्थापित किया गया है अपीलार्थी के पूर्व पदस्थापन स्थान को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रूपान्तरित किये जाने के कारण अपीलार्थी उक्त विद्यालय में अधिशेष हुई है तथा अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता में समान ब्लॉक के विद्यालय में ही पदस्थापित किया गया है, अपीलार्थी के उक्त नवीन पदस्थापन स्थान की दूरी अलवर बस स्टैण्ड से गूगल मैप के अनुसार मात्र 16–17 किलोमीटर की है। साक्ष्य स्वरूप अलवर बस स्टैण्ड से अकबरपुर ग्राम, ब्लॉक उमरैण के गूगल मैप की प्रति अनुलग्नक आर–5 पर संलग्न है। अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, टोडियार, ब्लॉक उमरैन, जिला अलवर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, ब्लॉक उमरैन, अलवर कर दिया गया। अपीलार्थी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर स्पष्ट है कि महात्मा गांधी विद्यालय टोडियार, उमरैन में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–। के पांच पद स्वीकृत है और इन पांच स्वीकृत पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–। के अध्यापक महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है जिसके आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया जाकर हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने के संबंध में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि अपीलार्थी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियमानुसार चयन प्रक्रिया से चयनित नहीं है। जिस आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन हिन्दी माध्यम विद्यालय में उसी ब्लॉक में किया गया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन नियमानुसार किया गया है, जिसमें किमी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रकट नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)